<u>संख्या-12/2599682/80-02-2023/80-2099/87/2022</u>

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **जिलाधिकारी,**
   मऊ, मथुरा, बुलन्दशहर, सीतापुर, मेरठ, लखनऊ, रामपुर, बाराबंकी, कानपुर नगर, हाथरस, बलिया, हरदोई, एटा, फर्रूखाबाद, सोनभद्र, फतेहपुर, मिर्जापुर।
2. **मुख्य विकास अधिकारी,**
   मऊ, मथुरा, बुलन्दशहर, सीतापुर, मेरठ, लखनऊ, रामपुर, बाराबंकी, कानपुर नगर, हाथरस, बलिया, हरदोई, एटा, फर्रूखाबाद, सोनभद्र, फतेहपुर, मिर्जापुर।
3. **निदेशक,कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0।**
4. **निदेशक,राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0।**

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2 दिनांक: 01 दिसम्बर 2023

विषय: उत्तर प्रदेश केविशिष्ट कृषि एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का भौगोलिक उपदर्शन (Geographical Indication) पंजीयन कराने एवं अधिकृत उपयोगकर्ता बनाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही है कि उत्तर प्रदेश के विशिष्ट कृषि एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का भौगोलिक उपदर्शन (Geographical Indication) पंजीयन कराने एवं ऐसे भौगोलिक उपदर्शन प्राप्त उत्पादों के उत्पादकों/ निर्यातकों/विक्रेताओं को अधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में पंजीयन कराते हुए जी0आई0 टैग के साथ विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु शासनादेश सं0- 12/2022/120/अस्सी-2-2022/80-2099/87/2022 दिनांक 14 दिसम्बर,2022 द्वारा विस्तृत मार्ग- निर्देश जारी किये गये हैं।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय (नोडल एजेन्सी) द्वारा प्रदेश में जी0आई पंजीयन हेतु 91 संभावित विशिष्ट कृषि एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों को चिन्हित किया गया है। इन संभावित उत्पादों में से 20 उत्पादों को दिनांक-11.01.2023 की बैठक में पंजीयन कराने का निर्णय लिया गया। उक्त 20 चयनित संभावित उत्पादों में से 04 उत्पाद यथा गोरखपुर पनियाला फल, मऊ गोठा भेली (गुड़), आगरा पेठा एवं बुन्देलखण्ड देशी अरहर का जी0आई0 पंजीयन कराने हेतु नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए जी0आई0 पंजीयन की कार्यवाही की जा रही है।

संभावित 20 उत्पादों की सूची से नाबार्ड द्वारा चयनित उत्पादों को घटाते हुए सूची के शेष 16उत्पादों के जी0आई0 पंजीयन की कार्यवाही जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्र0सं0	जनपद का नाम	शेष 16उत्पादों का विवरण
1	मऊ	लौकिहवा भांटा
2	मथुरा	पेडा
3	बुलंदशहर	खुर्जा की खुरचन
4	सीतापुर	मूंगफली
5	मेरठ	गजक
6	लखनऊ	रेवडी
7	रामपुर व बाराबंकी	मेंथा
8	कानपुर नगर	लाल ज्वार
9	हाथरस	गुलाब जल
10	बलिया	बोरो धान
11	हरदोई	संडीला लड्डू
12	एटा	चिकोरी
13	फर्रूखाबाद	फुलवा आलू
14	सोनभद्र	चिरौंजी
15	फतेहपुर	मलवां पेडा
16	मिर्जापुर/सोनभद्र	देशी ज्वार/देशी बाजरा

अतः शासनादेश दिनांक 14 दिसम्बर,2022 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार जनपदीय आत्मा सोसाइटी(Agricultural Technology Management Agency)/कृषक सहकारी समिति/ एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0/ कृषक समूहों/ उत्पादक समूहों को जी0आई0 पंजीयन में प्रोपराइटरी बनाने हेतु वरीयता प्रदान करते हुए जनपद स्तर से किया जाना अपेक्षित है। उत्पादों से संबंधित विभाग का वरिष्ठतम जनपदीय अधिकारी फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करेगा। इस हेतु जी0आई0 आवेदन में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति सी0एस0आर0 फन्ड के साथ-साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के अन्तर्गत नवाचार और कृषि-उद्यमी विकास (Innovation and agri-entrepreneur development) घटक/फन्ड से भी की जा सकती है। जी0आई0 आवेदन हेतु राज्य स्तर पर केन्द्रीकृत रूप से तकनीकी फैसिलिटेटर की इम्पैनैल्ड सूची जनपदों के सहायतार्थ समय-समय पर जारी की जायेगी।

उपर्युक्त प्रक्रियानुसार नये उत्पादों के जी0आई0 पंजीयन के साथ ही पंजीकृत उत्पादों के हितधारकों को अधिक से अधिक संख्या में अधिकृत उपयोगकर्ता बनाना लक्षित है। इस प्रकार

जी0आई0 उत्पादों के उत्पादकों को विपणन का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने हेतु उपर्युक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय

डा0 देवेश चतुर्वेदी

अपर मुख्य सचिव,

संख्या-12/2599682/80-02-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ।
3. कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0।
5. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से कि इस शासनादेश की 100 प्रतियां मुद्रित कराकर कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-1
7. गार्ड फाइल।

विनीत प्रकाश

विशेष सचिव,